



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

मातृत्व हितलाभ

बीमित महिला कामगारों के स्वास्थ्य के साथ-साथ

मातृ शक्ति का सम्मान



विशेषताएं

- दैनिक वेतन के बराबर भुगतान
- दो जीवित बच्चों तक प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक भुगतान
- दो से अधिक जीवित बच्चों के लिए 12 सप्ताह तक भुगतान
- कमीशनिंग / गोद लेने वाली माँ को 12 सप्ताह तक का भुगतान
- गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक भुगतान जिसे डॉक्टर की सलाह पर बढ़ाया भी जा सकता है

हितलाभ पाने की प्रक्रिया:

- गर्भावस्था अथवा गर्भपात की स्थिति में, नजदीकी ईएसआईसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाएँ
- सम्बंधित कागजातों तथा बैंक खाते के विवरण के साथ क्लेम फॉर्म घर से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं
- ऑनलाइन क्लेम के लिए www.esic.gov.in पर आईपी या लाभार्थी पोर्टल पर जाकर मैटरनिटी बेनेफिट्स को चुनें और क्लेम भरें



मातृत्व हितलाभ की अधिक जानकारी के लिए QR Code स्कैन करें